

न्यायालय:श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला -बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-706 / 2013
संस्थित दिनांक-07.08.2013
फाईलिंग क.234503002892013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

अन्तराम मरकाम पिता पतिराम मरकाम, जाति गोंड, उम्र-23 वर्ष,
निवासी-ग्राम छपला, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-14 / 07 / 2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324(2 काउन्ट्स), 506 भाग-2 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-03.08.2013 को रात्रि करीब 8-9 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम छपला में लोकस्थान पर फरियादी संतोष कुमार, संतराम एवं बत्तीबाई को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उन्हें व अन्य दूसरे सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, धारदार दांतों को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत संतोष कुमार एवं संतराम को धारदार दांतों से काटकर एवं लात मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की, फरियादी संतोष कुमार एवं संतराम को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी संतोष कुमार ने पुलिस थाना बिरसा में दिनांक-04.08.2013 को आकर यह रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक-03.08.2013 को रात्रि करीब 8 बजे वह अपने भाई संतराम के साथ खाना खाने के बाद टहल रहा था। उसका छोटा भाई अंतराम उसकी माँ के साथ गाली-गलौज करने लगा। उसकी माँ ने तथा उसने अंतराम को गाली देने से मना किया तो आरोपी अंतराम ने उसे माँ-बहन की अश्लील गालियां दी और उसके सीने में दांत से काट लिया। उसके भाई संतराम ने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने संतराम को उंगली में दांत से काट दिया। आरोपी ने लात से भी उसके साथ मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी संतराम के विरुद्ध अपराध क्रमांक-103/2013, अंतर्गत धारा-294, 323, 324, 506 कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेख किये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र

न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324(2 काउन्ट्स) एवं 506 भाग-2 का आरोप पत्र विरचित किये जाने पर उसके द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। विवेचना के दौरान फरियादी/आहतगण संतोष कुमार व संतराम ने आरोपी से राजीनामा कर लिया है, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506(भाग-2) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324(2 काउन्ट्स) का अपराध शमनीय नहीं होने से विचारण किया गया। आरोपी के द्वारा धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया गया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— **प्रकरण में निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-**

1. क्या आरोपी ने दिनांक-03.08.2013 को रात्रि करीब 8-9 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम छपला में धारदार दांतो को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत संतोष कुमार एवं संतराम को धारदार दांतो से काटकर एवं लात मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

: : विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष : :

5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी संतोष मरकाम (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि आरोपी अंतराम उसका छोटा भाई है। घटना उसके बयान देने के 6-7 माह पूर्व की रात्रि 6-7 बजे की है। घटना दिनांक को आरोपी उसके माता-पिता से विवाद कर रहा था। जब उसने आरोपी को समझाया कि वह विवाद न करे तो इस बात को लेकर आरोपी ने उसके साथ धक्का-मुक्की की थी, जिसके संबंध में उसने थाना बिरसा में प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट में दर्ज कराई, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी उसकी माँ बत्तोबाई को गंदी गालियां दे रहा था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी ने संतराम की उंगली में काटा था। उसने पुलिस को प्रदर्श पी-3 का कथन लेख नहीं कराया जाना व्यक्त किया है।

6— अभियोजन साक्षी संतराम (अ.सा.4) ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। आरोपी तथा उसकी माँ के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था, इस बात की उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके भाई संतोष कुमार व अंतराम के बीच राजीनामा हो गया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे

जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसकी माँ के साथ गाली-गलौज की थी। साक्षी ने इस इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी ने दांत से उसकी उंगली में काट लिया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-6 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया है।

7— रवनसिंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-04.08.2013 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-103/2013, धारा-294, 323, 324, 506 भा.द.सं. का संतोष कुमार की मौखिक रिपोर्ट पर प्रधान आरक्षक सनोडिया के द्वारा लेख की गई है, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके बी से बी भाग पर प्रधान आरक्षक सनोडिया के हस्ताक्षर हैं, जिसे वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-05.08.2013 को संतोष की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। उसने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने विवेचना के कार्यवाही थाने पर बैठकर अपने मन से की थी।

8— अभियोजन साक्षी सुखदेवसिंह (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी तथा आहतगण को जानता है। घटना उसके बयान देने से एक वर्ष पूर्व की रात्रि 8-9 बजे की है। उसे घर पर हल्ला सुनाई दिया था। उसे घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपी अंतराम ने उसके सामने आहतगण को अश्लील गालियां दी थी और आरोपी ने संतोष की छाती तथा संतराम की उंगली में दांत से काटा था। साक्षी ने अपना पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 पुलिस को नहीं लेख कराया जाना व्यक्त किया है।

9— अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी अंतराम के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324(2 काउन्टस) का अपराध किये जाने का अभियोग है। अभियोजन कहानी अनुसार विवाद होने पर आरोपी ने आहत संतराम की उंगली पर तथा आहत संतोष की छाती में दांत से काटा था। उपरोक्त दोनों ही साक्षियों ने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपी ने दांत से काटकर उन्हें उपहति कारित की थी। अभियोजन साक्षी संतोष कुमार (अ.सा.1), संतराम (अ.सा.4) ने आरोपी से विवाद होना स्वीकार किया है, परंतु आरोपी द्वारा धारदार वस्तु दांत से काटे जाने से इंकार किया है। अभियोजन साक्षी सुखदेवसिंह (अ.सा.2) ने उसे घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं होने के कथन अपने

न्यायालयीन परीक्षण में किये हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324(2 काउन्टस) का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324(2 काउन्टस) के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

10— प्रकरण में आरोपी दिनांक-07.08.2013 से दिनांक-13.08.2013 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

11— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया
गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/—

बैहर,
दिनांक-14.07.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट